IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, March 2023
Impact Factor: 7.301

महिला नेतृत्व की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन

(रीवा जिले के त्रिस्तरीय पंचायती राज के विशेष संदर्भ में)

डॉ. (श्रीमती) शाहेदा सिद्दीकी

एसोसिएट प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

डॉ. सतीश कुमार द्विवेदी

सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय, नादन जिला–सतना (म.प्र.)

शोध सारांश

पंचायती राज व्यवस्था ने स्त्रियों को पंचायतो की सहभागिता में आरक्षण प्रदान किया है। इस आरक्षण के कारण आज के पंचायती व्यवस्था के विभिन्न पदों पर है। इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्र में महिला जनप्रतिनिधियों की स्थिति क्या है और उनकी सामाजिक कल्याण में क्या भूमिका है? जिसके द्वारा ग्रामीण विकास कितना हुआ है? प्रस्तुत शोध पत्र में यह सबको जानना इस अध्ययन का मूल उद्देश्य है।

मुख्य शब्द :महिला, नेतृत्व, सामाजिक, आर्थिक स्थिति पंचायती राज, जनप्रतिनिध आदि।

प्रस्तावना –

देश में महिलाओं की स्थिति, खासकर ग्रामीण समाज के पिछड़े तबके से आती हैं, इनकी स्थिति दयनीय है। बच्ची अपने जन्म के पहले से ही भेदभाव का शिकार होती हैं और जन्म के बाद भी उनके साथ खान–पान, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के मामलों में भेदभाव किया जाता है और किशोरावस्था आते–आते उनकी शादी कर दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की ज्यादातर महिलाओं को खाना पकाने, पानी लाने, बच्चों को स्कूल भेजने, जानवरों को चारा देने, गाय दुहने जैसे कार्य करने पड़ते हैं।

यद्यपि पुरुषों के हिस्से ऐसे काम होते हैं जो अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, जैसे– दूध की बिक्री, खेती करना और खेती के उत्पाद बेचकर धन कमाना। अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की स्थिति भी ठीक नहीं। वे केवल अल्पसंख्यक ही नहीं होतीं बल्कि वे हासिए पर पड़े बहुसंख्यक समुदाय के भी अंग होती हैं। परिवार के अहम फैसलों में उनकी कोई इच्छा नहीं पूछी जाती और सामाजिक कामों में भी उन्हें भाग लेने के अवसर नहीं दिए जाते और इस प्रकार समाज से मिलने वाले लाभों में उनकी भागीदारी बराबर की नहीं होती। भारतीय संदर्भ में जहां हर प्रकार के शासन तंत्र में आरंभ से ही पंचायत का महत्व सर्वोपरि रहा है तथा उसके निर्णयों को सर्वमान्य मानते हुए किसी ने भी उनका विरोध किसी स्तर पर नहीं किया है, इस बात का द्योतक है कि पंचायत व्यवस्था एक ठोस और परिपक्व सामाजिक व्यवस्था के रूप में भारतीय जनमानस में व्याप्त रही है।

विदेशी कुशासन के कुछ अन्तराल के पश्चात् इस व्यवस्था का पुनरुत्थान लोकतांत्रिक भारत में पंचायतीराज व्यवस्था की स्थापना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहा है। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की महती अवधारणा को मूर्त रूप देने की ओर अग्रसर होने के लिए भी इस कदम को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। इसी अवधारणा को कार्यान्वित करने एवं ग्रामीण समाज को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से 1950 के दशक में सामुदायिक विकास योजनाओं को लागू किया गया। किन्तु इन योजनाओं की असफलता के कारण भारत सरकार ने बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने यह ठोस सुझाव दिया कि जब तक सत्ता का विकेन्दीकरण नहीं किया जाएगा और जनता की सक्रिय एवं सकारात्मक सहभागिता नहीं ली जाएगी तब तक ग्रामीण विकास में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। समिति की इन्हीं अनुशंसाओं के तहत 1994 में म0प्र0 में त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण किया गया। अर्थात् जिला स्तर पर जिला पंचायत तथा तहसील स्तर पर जनपद पंचायत एवं ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया।

प्रस्तावित अध्ययन का मूल उद्देश्य इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में महिला नेतृत्व की सामाजिक कल्याण में भूमिका का अन्वेषण करना है। इस हेतु रीवा जिले का चयन किया गया है। पुरुष और स्त्री सामाजिक जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। उनमें किसी एक के अभाव में यह गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। राष्ट्र की नारियाँ पत्नी के रूप में पुरुष को साहस प्रदान करती हैं। माता के रूप में भावी सन्तति को उस प्रकार शिक्षित करती हैं जिससे कि वे आत्म सम्मान, स्वतंत्रता और श्रेष्ठ आचरण का अनुगमन कर आदर्श नागरिक बन सकें। इन्हीं कारणों से हमारे समाज में नारियों को दुर्गा, सरस्वती व लक्ष्मी मानकर आराधना की जाती रही है। यह सब स्थिति वैदिक काल तक रही, कालान्तर में मध्ययुग के प्रारम्भ से स्त्रियों की स्थिति काफी

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, March 2023
Impact Factor: 7.301

गिरती गई। ब्रिटिश काल में कुछ समाज सुधारकों द्वारा स्त्रियों की निम्न स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल होने के फलस्वरूप बढ़ी हुई चेतना ने स्त्रियों को समाज में आगे बढ़ाने का मौका दिया जिससे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नारियों को सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किये गये। धीरे–धीरे वह अपनी पूर्ववत स्थिति की ओर तीव्रता से बढ़ रही हैं। डॉ0 कार्लेकर ने स्पष्ट लिखा है कि–''कानून स्त्री को समानता का अधिकार दे चुका है। समान कार्य समान वेतन की व्यवस्था हमारे यहाँ है। आवश्यकता है कि योग्य कर्मठ स्त्रियों की जो आगे बढ़कर अपनी जगह पहचान लें उसे हासिल करें।'' गॉव भारत की आत्मा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 72.2 प्रतिशत भाग गॉवों में निवास करता है। अतः भारत के विकास की कल्पना तब तक नहीं की जा सकती है जब तक गॉवों का विकास न हो। आजादी के बाद भारत में गॉवों के विकास को लिया गया। मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से गॉवों के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया गया है। इस विकास में संविधान का 73 वॉ संशोधन मील का पत्थर है जिसके द्वारा पंचायती राज में महिलाओं को सहभागिता मिली है। महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। यही कारण है कि आज महिलायें पंचायती राज में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं।

प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से जहाँ एक ओर ग्रामीण महिलाओं की उभरती प्रतिभाओं को रेखांकित किया जायेगा, वहीं दूसरी ओर यह जानने का प्रयास भी किया जायेगा कि सामाजिक कल्याण में महिला जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका है? शिक्षा का विकास तथा प्रजातांत्रीकरण की प्रक्रिया के कारण आज महिलायें केवल घर की चहर दीवारी तक सीमित नहीं है। आज उनका योगदान जीवन के विविध क्षेत्रों में है मध्यप्रदेश में पंचायती राज के द्वारा गॉव के सारे अधिकार पंचायतों को दे दिये गये हैं। इन पंचायतों के द्वारा गॉव का विकास कितना हुआ है यह जानना इस अध्ययन का उद्देश्य है तथा इसकें ग्रामीण महिलाओं की क्या भूमिका है? इस अध्ययन के माध्यम से यह जानना भी है कि ग्रामीण महिलाओं के द्वारा ग्रामीण विकास के नेतृत्व प्रदान करने में कौन–कौन सी बाधायें हैं तथा इन बाधाओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है।

रीवा जिले का परिचय

रीवा जिले के अंतर्गत आने वाले रीवा विकासखण्ड का तात्पर्य उस क्षेत्र से है, जहाँ विकासखण्ड स्तर के कार्यालय होते हैं। रीवा विकासखण्ड जिले का प्रमुख विकासखण्ड है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से रीवा नगर, नगर पालिका, गोविंदगढ़ एवं शेष ग्रामीण क्षेत्र आता है।

विकास की दृष्टि से विकासखण्ड का अधिकांश भाग एवं आबादी शहरी हें अतः विकासखण्ड की अधिकांश आबादी शैक्षिक रूप से विकसित भाग का हिस्सा है जबकि शेष आबादी जिले के दूरस्थ गाँवों की तरह पिछड़ेपन का शिकार है।

रीवा नगर का इतिहासः

रीवा नगर उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश का प्रथम एवं प्रशासकीय नगर है। अत्यंत प्राचीन काल में यह नगर मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत आता था। महान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित भरहुत का स्तूप उपर्युक्त तथ्य साक्षी है। ईसा की बारहवीं शताब्दी तक कर्चुली राजा इस क्षेत्र पर शासन करते रहे, इसके पश्चात् शासन चंदेलो, सेंगरों तथा गोड़ों के हाथ रहा। ईसा की तेरहवीं शताब्दी में यहाँ बघेलों का आधिपत्य स्थापित हुआ। यहीं से इस क्षेत्र का नाम बघेल खंड पड़ा। मध्य काल में रीवा एक साधारण ग्राम था। लगभग 400 वर्ष पूर्व महाराजा विक्रमादित्य ने 1617 में माधवगढ़ से हटकर रीवा को अपनी राजधानी बनाया। विक्रम संवत् 1911 तक नगर बिखरे हुए रूप में बिछिया, उपरहटी, तरहटी के अतिरिक्त घोघर, नगरिया एवं अमहिया तक पहुँच गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विंध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई तथा सन् 1948 से 1956 तक रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में प्रमुख रहा। नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के पश्चात नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ जिसमें रीवा मात्र एक संभाग बनकर रह गया। इस समय संभाग में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली चार जिले हैं। सन् 1968 में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय तथा सन् 1981 में रीवा नगर निगम की स्थापना हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत आवागमन के साधनों की कमी एवं औद्योगिक संसाधनों की कमी के कारण रीवा का पर्याप्त विकास नहीं हुआ।

रीवा जिले की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 395487 जिसमें पुरुषों की संख्या 207771, स्त्रियों की संख्या 187716 तथा जनसंख्या वृद्धि दर 23.41प्रतिशत एवं रीवा जिले की कुल साक्षरता 82.94 प्रतिशत है।

शोध प्रविधि :

प्रस्तुत शोध पत्र में महिला नेतृत्व की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का सही ढंग से विश्लेषण करना अति आवश्यक है क्योकि व्यक्ति पर वातावरण एवं परिस्थितियों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है और व्यक्ति के नेतृत्व व्यवहार की व्याख्या

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, March 2023
Impact Factor: 7.301

इस वातावरण का गहन अध्ययन करके ही की जा सकती है इसी के लिए ही प्रस्तुत अध्याय में महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का तालिकाओं के माध्यम से विश्लेषण किया गया है।

न्यादर्श चयन

प्रस्तुत अध्ययन तथ्य विश्लेषण, गणनात्मक अध्ययन विधि, अवलोकन तथा साक्षात्कार के माध्यम से किया गया। रीवा जिले के चुने हुए 50 महिला प्रतिनिधियों का चयन सविचार उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली के माध्यम से चयन किया जायेगा तथा प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया गया है।

व्याख्या :–

महिला नेतृत्व की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का सही ढंग से विश्लेषण करना अति आवश्यक है क्योकि व्यक्ति पर वातावरण एवं परिस्थितियों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है और व्यक्ति के नेतृत्व व्यवहार की व्याख्या इस वातावरण का गहन अध्ययन करके ही की जा सकती है इसी के लिए ही प्रस्तुत अध्याय में महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक विवरण दिया जा रहा है। महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए रीवा जिले के पंचायती राज के 2022 के चुनावों में निर्वाचित तीनों स्तरों की महिलाओं का साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से साक्षात्कार किया गया है तथा इससे उपलब्ध हुए आकंड़ों को यहाँ विभिन्न सारणियों के माध्यम से दर्शाया गया है। पचांयती राज संस्थाओं के त्रिस्तरीय ढ़ाचे के अंतर्गत कार्यरत महिला नेतृत्व की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के विवेचन से हमें उनके व्यक्तित्व का सम्पूर्ण ज्ञान तथा उनकी नेतृत्व की शैली का पूर्वानुमान प्राप्त होता है। अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक स्थिति के अध्ययन से यह जाना जा सकता है कि वे मतदाताओं द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्वों को कितनी सक्षमता एवं कितनी सफलता से निभा रही हैं? महिलाओं के शैक्षणिक स्तर के अध्ययन से उनकी अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूकता तथा अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का पता चलता है। इसी प्रकार प्रस्तुत शोध पत्र में आयु, वर्ग, शैक्षणिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, परिवार, व्यवसायिक पृष्ठभूमि, आय, पारिवारिक निर्णय लेने में भूमिका, व्यक्तिगत आर्थिक कार्यों के लिए प्रोत्साहन, मकान, जमीन, आदि जैसे कारकों को सम्मिलित करके पंचायती राज व्यवस्थाओं की तीनों स्तरों की चयनित महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। रीवा जिले के पंचायती राज में निर्वाचित महिला नेतृत्व की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के विवेचन की संक्षिप्त व्याख्या की जा रही है।

अशिक्षा महिलाओं के शोषण का मुख्य कारण है। खासकर अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक अयोग्यता, शोषण, सामाजिक अधीनता का मुख्य कारण अशिक्षा ही है। लोकतन्त्रीय राजनीति में नेतृत्व के स्वरूप निर्धारण में शिक्षा की महती भूमिका है। महिला नेतृत्त्व में सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं एवं मुद्दों को समझने एवं उनको हल करने की क्षमता शिक्षा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है।

आयु संरचना –

भारतीय सन्दर्भों में अधिक आयु के लोगों को कम आयु वालों की अपेक्षा अधिक अनुभवी एवं ज्ञानी समझा जाता है। सामाजिक परिवेश में निश्चित सामाजिक स्थिति और भूमिका उम्र के द्वारा ही प्राप्त होती है। परन्तु सार्वजनिक वयस्क मताधिकार एवं निर्वाचन की न्यूनत्तम आयु के निर्धारण के कारण धीरे–धीरे स्थितियों में परिवर्तन आने से ग्रामीण स्तर पर भी युवा नेतृत्त्व उभरा है। महिला सदस्यों की आयु को जानने के बाद यह ज्ञात होगा कि जनता ने प्रतिनिधित्व किस आयु वर्ग की महिलाओं को सौंपा है। सारणी–1 में जिले के पंचायती राज में निर्वाचित महिला नेतृत्व की आयु के वर्गीकरण को चार वर्गों में बांटकर दर्शाया गया है।

1. युवा आयु वर्ग ....(21 से 25 वर्ष तक)
2. परिपक्व आयु वर्ग ....(26 से 35 वर्ष तक)
3. मध्यम आयु वर्ग ....(36 से 45 वर्ष तक)
4. बुजुर्ग वर्ग ....(45 वर्ष से अधिक)

तालिका 1 आयु के आधार पर वर्गीकरण–

क्रमांक	आयु वर्ग	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	21–25 वर्ष	04	08
2.	26–35 वर्ष	13	26
3.	36–45 वर्ष	20	40

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, March 2023
Impact Factor: 7.301

4.	45 से ऊपर	13	26
	योग	**50**	**100**

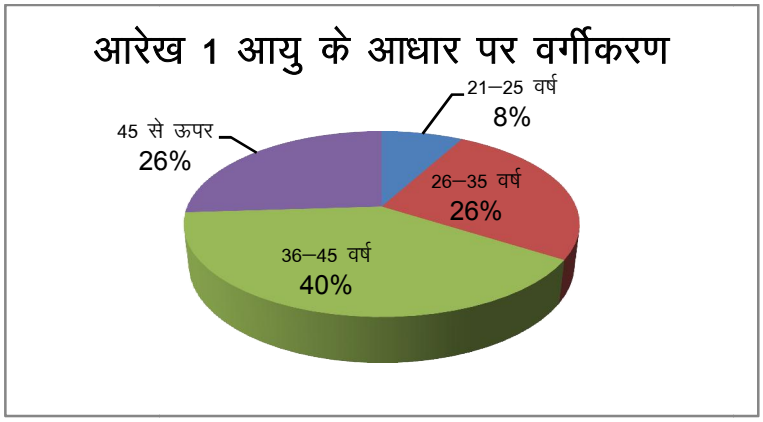

आयु सम्बन्धी तालिका 1 के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जिला रीवा जिले में 21–25 वर्ष वाले आयु वर्ग की महिला प्रतिनिधियों की आवृत्ति 04(08 प्रतिशत), 13(26 प्रतिशत), 26–35 वर्ष की आवृत्ति 20 (40 प्रतिशत), 36–45 वर्ष की आवृत्ति 111 (27.75 प्रतिशत) तथा 45 वर्ष से ऊपर की आवृत्ति 30 (20 प्रतिशत) है।

इनमें 36–45 वर्ष वाले आयु वर्ग की महिला प्रतिनिधियों की आवृत्ति सर्वाधिक है जो कि कुल उत्तरदात्रियों का 40 प्रतिशत है।

वैवाहिक स्थिति–

सामाजिक स्थिति के निर्धारण तथा नेतृत्व के दृष्टिकोण से व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

सारणी 02 वैवाहिक स्थिति–

क्रमांक	**वैवाहिक स्थिति**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
1.	विवाहित	46	92
2.	अविवाहित	00	00
3.	विधवा / परित्यक्ता	04	08
4.	अन्य	00	00
	योग	**50**	**100**

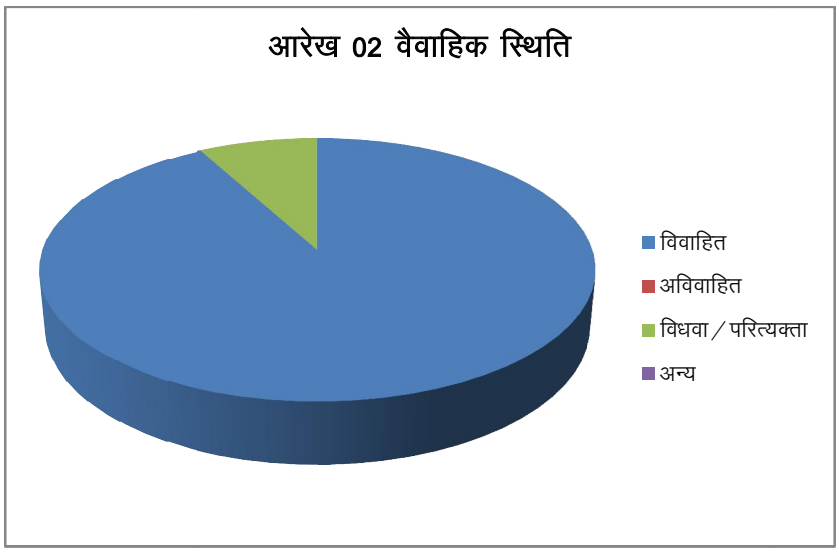

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, March 2023
Impact Factor: 7.301

वैवाहिक स्थिति सम्बन्धी सारणी 2 को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि रीवा जिले में विवाहित वर्ग की महिला प्रतिनिधियों की आवृत्ति 46 (92 प्रतिशत), अविवाहित की आवृत्ति शून्य, विधवा/परित्यक्ता महिलाओं की आवृत्ति 04 (8 प्रतिशत) तथा अन्य की आवृत्ति भी शून्य है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि रीवा जिले की कुल उत्तरदात्रियों में से 92 प्रतिशत सर्वाधिक विवाहित हैं।

तालिका क्रमांक 3: **शैक्षणिक स्थिति**

क्रमांक	शैक्षणिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अनपढ़	07	14
2.	केवल साक्षर	5	10
3.	प्राइमरी तक	06	12
4.	आठवीं तक	05	10
5.	मैट्रिक/12वीं	10	20
6.	स्नातक	05	10
7.	स्नातकोत्तर	02	04
8.	और अधिक	00	00
	योग	**50**	**100**

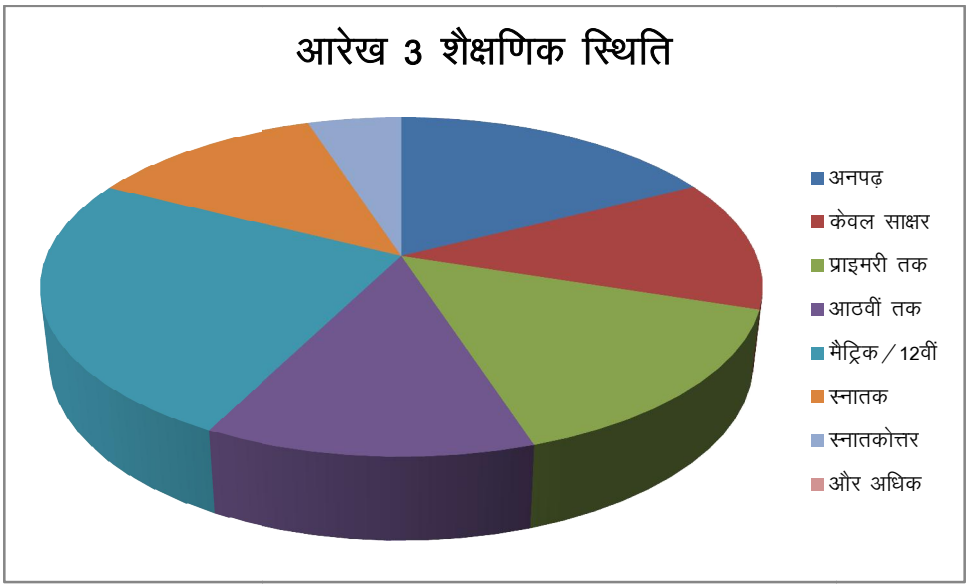

शैक्षिक स्थिति सम्बन्धी सारणी क्रमांक 3 में दर्शाए गए आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि रीवा जिले के महिला प्रतिनिधियों की आवृत्ति 07(14 प्रतिशत), केवल साक्षर की आवृत्ति 05 (10 प्रतिशत), प्राइमरी तक शिक्षित 06 (12 प्रतिशत), आठवीं तक 05 (10 प्रतिशत), मैट्रिक/12वीं 10 (20 प्रतिशत), स्नातक 05 (10 प्रतिशत), स्नातकोत्तर 02 (04 प्रतिशत), तथा 'और अधिक' की आवृत्ति शून्य है। अर्थात् कुल उत्तरदात्रियों में से सर्वाधिक 20.00 प्रतिशत महिलाएँ केवल साक्षर हैं।

इस प्रकार से कहा जा सकता है कि केवल साक्षर महिलाएँ ही सर्वाधिक 20.00 प्रतिशत हैं।

वर्ग से सम्बन्ध–

पंचायती राज में महिला प्रतिनिधियों का चुनाव प्रभुत्व प्राप्त वर्गों या आरक्षित वर्गों के आधार पर ही होता आया है। वर्तमान अध्ययन में भी यही बात सामने आयी है कि पंचायती राज संस्थाओं में जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वे मुख्यतः इन्ही वर्गों से संबंधित हैं। इसे नीचे दी गई सारणी क्रमांक 4 में स्पष्टतः देखा जा सकता है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, March 2023
Impact Factor: 7.301

तालिका क्रमांक 4: वर्ग से सम्बन्ध स्थिति

क्रमांक	वर्ग से सम्बन्ध	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	सामान्य	16	32
2.	पिछड़ा वर्ग	18	36
3.	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	16	32
4.	अन्य	0	0
	योग	**50**	**100**

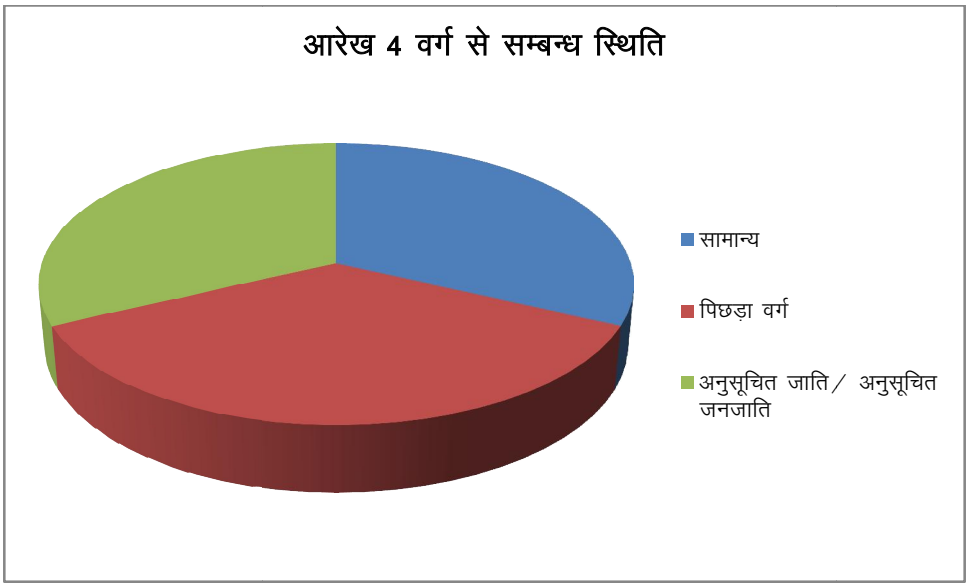

वर्ग से सम्बन्धित सारणी 4 से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में सामान्य वर्ग की महिला प्रतिनिधियों की आवृत्ति 16 (32 प्रतिशत), पिछड़ा वर्ग की आवृत्ति 18 (36 प्रतिशत), अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं की आवृत्ति 16 (32 प्रतिशत) तथा अन्य की आवृत्ति शून्य है।

इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कुल उत्तरदात्रियों में से सर्वाधिक 36 प्रतिशत महिलाएँ पिछड़ा वर्ग की हैं।

परिवार का स्वरूप–

आधुनिक काल में परम्परागत संयुक्त परिवार की व्यवस्था, रचनात्मक और कार्यात्मक विशेषताओं में औद्योगीकीकरण, नगरीकरण, शिक्षा के प्रसार, आर्थिक और व्यावसायिक जीवन में होने वाले बदलावों इत्यादि के फलस्वरूप परिवर्तन हो रहे हैं।

तालिका क्रमांक 5: परिवार का स्वरूप

क्रमांक	परिवार का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	एकल परिवार	28	56
2.	संयुक्त परिवार	22	44
	योग	**50**	**100**

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, March 2023
Impact Factor: 7.301

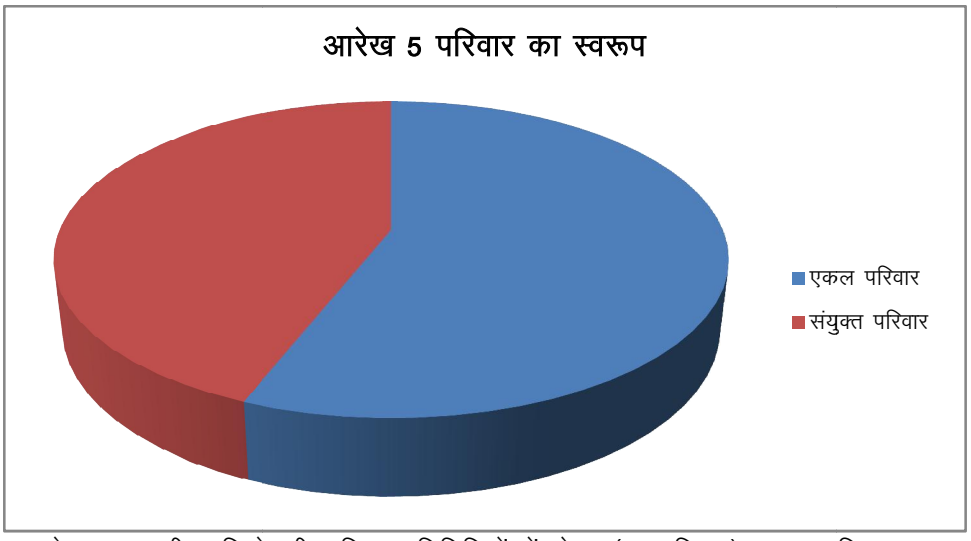

सारणी 5 के अनुसार रीवा जिले की महिला प्रतिनिधियों में से 28(56 प्रतिशत) एकल परिवार तथा 22 (44 प्रतिशत) संयुक्त परिवार से संबंधित हैं।

इस प्रकार से कह सकते हैं कि 56 प्रतिशत एकल परिवार की महिला प्रतिनिधियाँ सर्वाधिक हैं।

पारिवारिक निर्णय लेने में भूमिका–

नेतृत्त्व के सन्दर्भ में महिला प्रतिनिधियों की घर व परिवार के निर्णयों में हिस्सेदारी तथा उनकी ग्राम पंचायत या उच्च स्तर की पचांयतों में भागीदारी में सीधा संबंध होता है। तालिका 6 में परिवार में निर्णय में भूमिका सम्बन्धी विवरण दिया गया है।

तालिका क्रमांक 6: पारिवारिक निर्णय लेने में भूमिका

क्रमांक	पारिवारिक निर्णय लेने मे भूमिका	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	निर्णय घर के बड़े सदस्य	06	12
2.	कुछ विषयों में राय	09	18
3.	समान भागीदारी	**31**	**62**
4.	परिवार की मुखिया	**04**	**08**
	योग	**50**	**100**

पारिवारिक निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका संबंधी सारणी 6 से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में 43(10.75 प्रतिशत) महिलाओं के अनुसार निर्णय घर के बड़े सदस्य लेते हैं, 06 (12 प्रतिशत) से कुछ विषयों में राय ली जाती है, 09 (18 प्रतिशत) महिलाओं की समान भागीदारी है तथा 31(62 प्रतिशत) महिलाएँ परिवार की मुखिया हैं।

इस प्रकार कह सकते हैं कि कुल उत्तरदात्रियों में से सर्वाधिक 62.00 प्रतिशत महिलाओं की पारिवारिक निर्णय लेने में समान भागीदारी है।

मकान का निर्माण–

आवास या निवास स्थान के माध्यम से व्यक्ति जीवन की उपलब्धियों, धन सम्पदा एवं ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति करके अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण परिचय जगजाहिर करने का प्रयास करता है।

तालिका क्रमांक 7: सुविधाओं के साथ मकान निर्माण

क्रमांक	सुविधाओं के साथ मकान निर्माण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	कच्चा मकान	06	12
2.	पक्का मकान	20	40
3.	सुविधापूर्ण मकान	18	36
4.	आलीशान मकान	06	12
	योग	**50**	**100**

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, March 2023
Impact Factor: 7.301

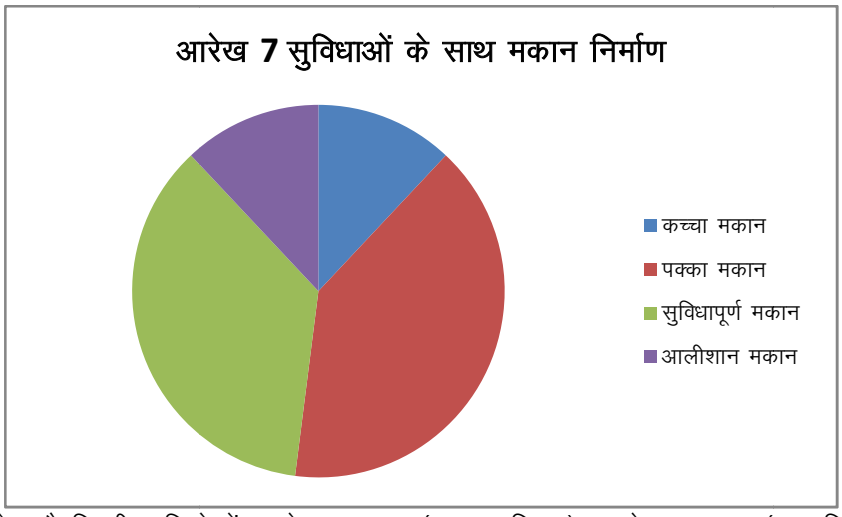

तालिका 7 से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में कच्चे मकान 06 (12.00 प्रतिशत), पक्के मकान 20 (40 प्रतिशत), सुविधापूर्ण पक्के मकान 18 (36 प्रतिशत) तथा आलीशान मकान 6(12.00 प्रतिशत) महिला प्रतिनिधियों के पास हैं। अर्थात् कुल उत्तरदात्रियों में से सर्वाधिक 39.25 प्रतिशत महिलाएँ पक्के मकान में रहती हैं।

इस प्रकार निकर्षतः यह कह सकते हैं कि 40 महिला नेतृत्व वाली महिलाएं पक्के मकानों में रहती हैं।

राजनीति में प्रवेश से परिवार व समाज में संबंधो पर प्रभाव–

पितृसत्तात्मक परम्परागत भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा खराब रही है परन्तु पचांयती राज के संवैधानीकरण के तहत पंचायती राज संस्थाओं में तीनों स्तरों की महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया गया है। जिससे महिलाएँ भी चुनी जाने लगी हैं। इस प्रश्न में यही जानने का प्रयास किया गया है कि राजनीति में प्रवेश के कारण परिवार व समाज में उनके सम्बन्ध किस तरह प्रभावित हुए हैं? इसके प्रत्युतर में प्राप्त आंकड़ों को ही नीचे सारणी 8 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक 8: राजनीति में प्रवेश से संबंधों पर प्रभाव

क्रमांक	राजनीति में प्रवेश से संबंधों पर प्रभाव	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
1.	पहले के जैसे ही हैं	18	36
2.	पुरुषों के समान दर्जा	05	10
3.	राय में हिस्सेदारी	10	20
4.	सकारात्मक प्रभाव	14	28
	नकारात्मक प्रभाव	03	06
	योग	**50**	**100**

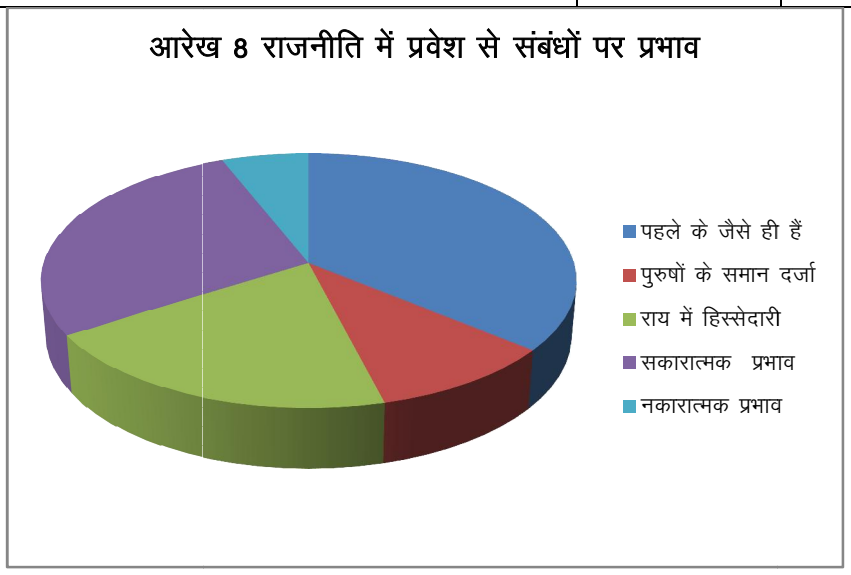

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, March 2023
Impact Factor: 7.301

तालिका 8 के अनुसार रीवा जिले की 18 (36 प्रतिशत) महिला प्रतिनिधियों के राजनीति में प्रवेश के बाद भी परिवार व समाज से सम्बन्ध पहले के जैसे ही हैं, 05 (10 प्रतिशत) को पुरुषों के समान दर्जा, 10 (20 प्रतिशत) की राय में हिस्सेदारी, 14 (28 प्रतिशत) के संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव एवं 03 (06 प्रतिशत) केसंबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि महिला प्रतिनिधियों के राजनीति में प्रवेश परिवार व समाज से सम्बन्ध 36 प्रतिशत पहले के जैसे ही है।

शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास–

महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने बाबत शिक्षा आज अत्यन्त ही आवश्यक है।

सारणी 9 शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है–

तालिका क्रमांक 9: शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास

क्रमांक	शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	43	86
2.	नहीं	07	14
	योग	**50**	**100**

तालिका 9 के तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि रीवा जिले की 43 (86 प्रतिशत) महिला प्रतिनिधियों ने माना है कि शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है तथा केवल 07 (14 प्रतिशत) महिला प्रतिनिधियों के अनुसार शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास नहीं बढ़ा है।

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि रीवा जिले में लगभग 86 प्रतिशत सभी महिला प्रतिनिधियों के अनुसार शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है।

परिवार में पंचायत से जुड़े सदस्य–

महिला प्रतिनिधियों के परिवार से अधिकतर पति, सास–ससुर या कोई महिला ही पंचायतों से जुड़े हुए होते हैं तथा बदल–बदल कर प्रतिनिधित्व करते रहते हैं।

तालिका क्रमांक 10: परिवार में पंचायत से जुड़े सदस्य

क्रमांक	परिवार में पंचायत से जुड़े सदस्य	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पति	12	24
2.	सास/ससुर	16	32
3.	महिला	05	10
4.	अन्य	17	34
	योग	**50**	**100**

सारणी 5.12 से स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 12 (24 प्रतिशत) महिला प्रतिनिधियों के पति, 16 (32 प्रतिशत) के सास–ससुर, 05(10 प्रतिशत) के परिवार से कोई महिला तथा 17 (34 प्रतिशत) के परिवार से अन्य व्यक्ति पंचायतों से जुड़ा हुआ है।

इस प्रकार से कह सकते हैं कि कुल उत्तरदात्रियों में से सर्वाधिक 34 प्रतिशत महिलाओं के परिवार से सास–ससुर पंचायतों से जुड़े हुए हैं।

परिवार नियोजन संबंधी निर्णय कर्त्ता–

तालिका क्रमांक 11: परिवार नियोजन संबंधी निर्णय कर्त्ता

क्रमांक	परिवार में पंचायत से जुड़े सदस्य	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	स्वयं	07	14
2.	पति	18	36
3.	सास/ससुर	14	28
4.	अन्य	11	22
	योग	**50**	**100**

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, March 2023
Impact Factor: 7.301

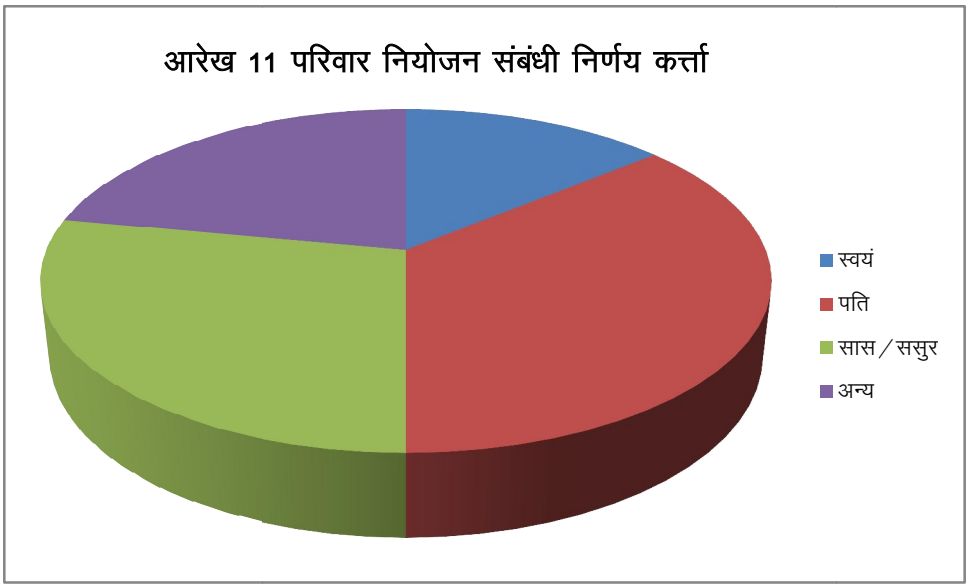

तालिका 11 से स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में परिवार नियोजन संबंधी निर्णय स्वयं लेने वाली महिला प्रतिनिधियों की आवृत्ति 58 (14.5 प्रतिशत), पति द्वारा निर्णय लेने की आवृत्ति 145 (36.25 प्रतिशत), सास–ससुर द्वारा निर्णय लेने की आवृत्ति 115 (28.75 प्रतिशत) तथा अन्य की आवृत्ति 82 (20.50 प्रतिशत) है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कुल 36.25 मामलों में परिवार नियोजन संबंधी निर्णय पति द्वारा लिया जाता है।

निष्कर्षतः

यह कहा जा सकता है कि महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आयु, वर्ग विभाजन, शैक्षणिक स्थिति, व्यवसाय, वार्षिक आय, परिवारकी स्थिति, व्यक्तिगत आर्थिक कार्यों हेतु प्रोत्साहन, आवास, जमीन की स्थिति तथा अन्यआयामों की दृष्टि से देखा जाए तो रीवा जिले के पंचायती राज के तीनों स्तरों पर 2022 के चुनावों में निर्वाचित महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक स्तर बहुत अधिक भिन्न नहीं है। महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विस्तार से विश्लेषण, व्याख्या एवं निष्कर्ष द्वारा इस अध्ययन से एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह उभरता है कि पचांयती राज सस्थाओं के चुनावों के तहत निर्वाचित महिला सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उनकी पंचायती राज संस्था के स्तर के अनुरूप ही है अर्थात् जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत की महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्रमशः उच्च, मध्य व निम्न ही है। साथ ही साथ महिला प्रतिनिधियों की यह सामाजिक और आर्थिक स्थिति स्वयं भी पंचायती राज संस्थाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी एवं भूमिका तय करती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

[1]. अन्नू मेमन मजूमदार, सोशल वेलफेयर इन इण्डिया, बाम्बे एशिया, 1964
[2]. कौशिक, सुशीला, वुमैन एण्ड पंचायती राज, हर आनन्द पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1993
[3]. कपूर, प्रमिलाः कामकाजी भारतीय नारी बदलते जीवन मूल्य और सामाजिक स्थिति, अनुवादक–रमेश नारायण तिवारी, राज पाल एण्ड संस, दिल्ली, 1976
[4]. गांधी, एम. के., ग्राम स्वराज, नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस अहमदाबाद, 2014,
[5]. ए.एस. अल्तेकर, प्राचीन भारतीय शासन पद्धतियां (भारतीय भण्डार, इलाहाबाद 1948
[6]. एम.एन. श्रीवास्तव इण्डियाज विलेज एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे 1961
[7]. भारत 2016 प्रकाशन केन्द्र भारत सरकार नई दिल्ली
[8]. श्रीवास्तव, अरूण कुमार, भारत मे पंचायती राज, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपरु , 1994,
[9]. सुराणा राजकुमारी, भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और नव–पंचायती राज, राज पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, 2000
[10]. बघेल डी.एस. (1990) भारतीय सामाजिक समस्याएं पुष्पराज प्रकाशन रीवा
[11]. भनौट, शिवकुमार, ''राजस्थान में पंचायत व्यवस्था'', यूनीवर्सिटी बुक डिपो, जयपुर, 2000
[12]. ओमन, टी.के.: पोलिटिकल लीडरशिप इन रुरल इण्डियन–इमेज एण्ड रियलिटि, एशियन सर्वे, वाल्यूम 9 (7), 1969

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, March 2023
Impact Factor: 7.301

[13]. एस.एन.राना डे और पी.रामचन्द्रनः विमन एण्ड इम्प्लायमेन्ट, बॉम्बे टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ साइन्सेज, 1970
[14]. उषा मेहता : ''द इण्डियन विमेन एण्ड देयर पार्टीसीपेशन इन पालिटिक्स शोसल चेन्ज, वाल्यूम–8, नं.3, सितम्बर 1978.
[15]. महिपाल, पंचायतों में महिलाएँः सीमाएं और सम्भावनाएं, सारांश प्रकाशन, नई दिल्ली, 1996।
[16]. जिला पंचायत रीवा से प्राप्त सांख्यिकीय आंकड़े वर्ष 2022।